

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 09/04/2020

फा.क्र. 1525-अ/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर की जाती है :-

अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1. श्री पी.वी.योगेशवरन, अधिवक्ता
2. सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अधिवक्ता
3. श्री जोयतीप रॉय, अधिवक्ता
4. श्री सौरभ मिश्रा, अधिवक्ता
5. श्री धीरेन्द्र परमार, अधिवक्ता

उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1. श्री व्ही.व्ही.एम.वी.एन.एस.पट्टाणीराम, अधिवक्ता
2. श्री मुकुल सिंह, अधिवक्ता
3. श्रीमती अंकिता चौधरी, अधिवक्ता
4. श्री वीर विक्रान्त सिंह, अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकल्पनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 09/04/2020

पृ० क्रमांक 1525-अ/21-ब(दो)

प्रतिलिपि,

1. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली,
2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर / नई दिल्ली,
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/टी.एम., मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर दो प्रतियों में,
7. उप नियंत्रक शासन, केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेसा हिल्स, भोपाल की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
8. निज सचिव, माननीय विधि मंत्रीजी, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
9. महाधिवक्ता, म.प्र. कृपया नियुक्त अधिवक्ताओं को अवगत कराने का कष्ट करे,
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की न्यायिक शाखा-1/ न्यायिक शाखा-2/सिविल/आपराधिक एवं याचिका शाखाओं की ओर,
11. आई.टी. प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग